न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

र्थना–पत्र संख्या :–58 / 2021
CMS NO:- 2021/124

दायर दिनांक: 01.07.2021
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

सोजीलाल आ0 छीतरलाल जाति गुर्जर नि0 वडीपडाप तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थी

बनाम

1. पारस कुमार आ0 लालचन्द जैन जाति महाजन नि0 वार्ड नम्बर 8 चार हाटडिया नैनवॉ तहसील नैनवॉ। (डिलीट)
2. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
3. भंवरबाई पत्नी सम्पत सिंह जाति राजपूत नि0 नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आरटीएक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी।

प्रत्यार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

निर्णय दिनांक 31.07.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नैनवॉ प्रथम प0म0 नैनवॉ प्रथम तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 862 के अनुसार खसरा नम्बर 5053, 6144/5054 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6391 हैक्टयर भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि स्थित है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 5053 मे जाने का रास्ता नैनवॉ से वडीपडाप जाने वाले आम डामर सडक के उत्तरी ओर स्थित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 5062 की दक्षिणी पूर्वी मेड के सहारे सहारे होता हुआ खसरा नम्बर 5053 तक पहुंचता है। प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग पुश्तैनी रूप से करता चला आ रहा है। उक्त रास्ते को मोके के नजरी नक्शा परिशिष्ट अ मे रास्ते को लाल स्याही से अ, ब के रूप मे दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की भूमि पर जाने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को जबरन ताकत के बल पर रास्ते को रोक दिया है जिससे प्रार्थी का अपने खाते की भूमि पर जाना दूभर हो गया है। प्रार्थी के खाते की भूमि पडत रहने की पूरी पूरी संभावना हो गयी है। प्रार्थी ने काफी निवेदन किया कि मै उक्त रास्ते का उपयोग पुश्तैनी रूप से करता चला आ रहा हूं लेकिन अप्रार्थी नही माना और रास्ता देने से साफ इन्कार कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड मे करवाने हेतु नियमानुसार भूमि के खातेदार को प्रतिकर राशि अदा करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार जैन द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। लेकिन दिनांक 22.12.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 पारस कुमार द्वारा अपने खातेदारी हक अधिकार आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर 5061, 5062 को बेचान भंवरबाई पत्नी सम्पतसिंह जाति राजपूत के नाम कर देने से पारस कुमार के स्थान पर भंवरबाई को पक्षकार बनाने एवं पारस कुमार का नाम डिलीट करने हेतु अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी पेश किया जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.05.2025 को No Objection अंकित करने से पारस कुमार का नाम डिलीट किया जाकर भंवरबाई पत्नी सम्पत सिंह को अप्रार्थी संख्या 3 बनाने हेतु प्रार्थी वकील को निर्देशित किया जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित शिर्षक पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार जैन द्वारा वकालातनामा पेश किया गया।

आज दिनांक 31.07.2025 को प्रत्यार्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा फर्द दस्तावेजों की सूची पेश की गयी। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। हमने वाद पत्र व संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस खसरा म्बर 5053 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, पर जाने के लिए खसरा नम्बर 5074 किस्म गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 5062 मे होकर खसरा नम्बर 5052 तक प्रचलित रास्ता बना हुआ है जो मौके पर चालू है। साथ ही बताया कि खसरा नम्बर 5052 प्रार्थी के माता–पिता की ही खातेदारी भूमि है और इसके लगवा ही प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 5053 है। अतः प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 5053 पर जाने के लिए मौके पर प्रचलित रास्ता चालू होकर विद्यमान होने से नवीन रास्ता कायम करना न्यायोचित प्रतीत नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ